उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 20 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 05 दिसम्बर, 2018)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिये नत्थी "**क**")।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी "**ख**")

3. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "**ग**")

4. निधन के निदेश।

5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2018 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

6. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2018) को सदन के पटल पर रखेंगे।

7. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सप्तदश वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) को सदन के पटल पर रखेंगे।

8. मुख्यमंत्री, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के अधीन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2016-2017) (ए0टी0आर0सहित) को सदन के पटल पर रखेंगे।

9. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि:-

    (1) न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

    (2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तीसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का इक्कतीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का तैतीसवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड सेवा निवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2018 का चौतीसवां अधिनियम बन गया।

10. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

11. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम रसूलपुर में भूमिया खेड़ा का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री समीम पुत्र श्री नफीस ग्राम रसूलपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम करोंदी में मेन रोड से माता के स्थान तक सी0सी0 सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में" श्री महिपाल, पुत्र श्री फूलसिंह, ग्राम-करोंदी, पो0-भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम दौडबसी में रविदास मन्दिर तक सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री करण, पुत्र श्री शेरसिंह, ग्राम-दौडबसी, पो0-सिरचंदी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत पथरी पावर हाउस बहादराबाद से आगे नहर के किनारे की क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रणधीर सिंह, पुत्र श्री सुरवीर ग्राम साईधाम कालोनी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर खुर्द में मेंन सड़क से श्मशान घाट तक सड़क का नव निर्माण एवं नाले पर स्थित मुख्य पुलिया का चौड़ीकरण कार्य के सम्बन्ध में" श्री लाल सिंह, पुत्र श्री मोल्हड सिंह ग्राम जमालपुर खुर्द, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत ग्राम अलावलपुर में स्वजल विभाग से निर्मित पानी की टंकी संचालित न होने के सम्बन्ध में" श्री सुशील, पुत्र श्री काबूल ग्राम अलावलपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में नवसृजित तहसील बालगंगा में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में" श्री राजेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह ग्राम श्रीकोट गांव जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत ग्राम अठाली विकास खण्ड भटवाड़ी में क्यूला गाड में आपदा में क्षतिग्रस्त पैदल पुलिया के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' जयेन्द्र सिंह पंवार पुत्र स्व0 श्री जमन सिंह पंवार, ग्राम-अठाली, पो0 रतूडीसेरा, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत देवीधार-रनाडी-अठाली-चामकोट-दिलसौड-मनेरा-जोशियाडा-उत्तरकाशी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती भागदेई पंवार पत्नी श्री जयेन्द्र सिंह पंवार, ग्राम अठाली पो0 रतूडीसेरा जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सुवाखोली-भवान-नगुण मोटर मार्ग पर भवान से गंवाणा तक मोटर सेतुओं सहित मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शीशपाल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी गवाणा, पो0 भवान जिला टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

21. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत धारी ब्लाक के धारी से कौल धानाचुली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में" श्री लाल सिंह पुत्र श्री पान सिंह ग्राम कौल पो0 धारी जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

22. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लाक मोटर मार्ग जो स्यूड़ा से कौन्ता-हरीशताल को टैण्डर के बाद भी कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में" श्री केशव दत्त रूवाली पुत्र श्री ईश्वर दत्त रूवाली ग्राम व पो0हरीशताल जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लाक के पतलोट डिग्री कालेज भवन बनाने के सम्बन्ध में" श्री रघुवर सिंह मटियाली पुत्र श्री वीर सिंह ग्राम ल्वाड़ पो0 हरीशताल जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

24. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत एम0डी0डी0ए0 नेहरूपुरम्, कांवली रोड़, आवासीय कालोनी, देहरादून से राजकीय पशु चिकित्सा केन्द्र अन्यत्र क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री अजय सेठी, निवासी एम/48, नेहरूपुरम्, कांवली रोड़, जिला देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगें।

25. श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ऊखीमठ-मनसूना-रांसी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में" श्री शिव सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह, ग्राम व पो0 रांसी, जिला रूद्रप्रयागएवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगें।

26. श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा "रूद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के कार्तिक स्वामी मंदिर और तुंगनाथ क्षेत्र में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में" श्री शत्रुघन नेगी, पुत्र श्री कुंवर सिंह, जवाहरनगर अगस्तमुनी, जिला रूद्रप्रयागएवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगें।

27. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

28. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

29. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

30. दिनांक 08 जून, 2017 प्रथम गुरूवार को श्री प्रीतम सिंह पंवार, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर में संशोधन हेतु शिक्षा मंत्री का शोधन वक्तव्य।

(शोधन वक्तव्य के लिए देखिए नत्थी **"घ"**)

31. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

32. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करेंगे।

33. आयुष शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

34. आयुष शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करेंगे।

35. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ङ"**)

36. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

37. मुख्यमंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

"जनपद देहरादून अवस्थित जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर पूर्व प्रधानमंत्री स्व0श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखे जाने का संकल्प भारत सरकार को भेजा जाय।"

38. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :

दिनांक :04 दिसम्बर, 2018

(जगदीश चन्द्र)

सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

तृतीय सत्र, 2018
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की

कार्यसूची

बुधवार,

मार्गशीर्ष 20, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 05 दिसम्बर 2018)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 27.11.2018	** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में भवनहीन विद्यालयों तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए सरकार कोई कारगर योजना बनाने जा रही है? क्या सरकार ऐसे भवनों के निर्माण/पुनर्निमाण तथा मरम्मत के लिए जिला योजना में आवश्यक रूप से पृथक से बजट/धन का कुछ प्रतिशत हिस्सा प्राविधानित अनिवार्यरूप से करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

<u>उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत तृतीय सत्र 2018 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न</u>

श्रीमती ममता राकेश 05.02.2018	*01. आगामी सत्र हेतु स्थगित। क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था न होने के कारण सिडकुल का दूषित पानी व अन्य अवशिष्ट आस-पास की बस्तियों तथा आने-जाने वाले मार्ग पर एकत्रित हो जाता है, जिससे आवागमन में अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जन समस्या को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**

नत्थी 'ग'

<u>तारांकित प्रश्न</u>

श्रीमती ममता राकेश 02.11.2018	*1. **एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त।** क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है तथा उक्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? यदि हां तो क्या सरकार भगवानपुर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री देशराज कर्णवाल 02.11.2018	*2. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में इको-टूरिज्म कहां-कहां है? क्या सरकार प्रदेश में इको-टूरिज्म की सम्भावनाओं को मध्य नजर रखते हुए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री देशराज कर्णवाल 05.11.2018	*3. क्या कौशल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में गत पॉच वर्षो में कितने बेरोजगार पंजीकृत थे तथा उनमें से कितने बेरोजगारों को सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार दिया गया है? रोजगार दिये जाने की वर्षवार स्थिति क्या है?	**कौशल विकास**

श्री देशराज कर्णवाल 06.11.2018	*4. **एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त।** क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में सीवर लाईन पेयजल पाइप लाईन, गैस पाइप लाईन व भूमिगत विद्युत लाईन बिछाने के कार्यो के अलग-अलग चलने से अधिक व्यय के साथ-साथ जनता को भी परेशानी होती है? यदि हां तो क्या सरकार ऐसी कार्य योजना पर विचार कर रही है कि ऐसे कार्यों को करने वाली विभिन्न एजेन्सियों में तालमेल स्थापित कर सभी कार्य एक साथ कराये जा सकें?यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री सुरेश राठौर 09.11.2018	*5. क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में आयोजित श्रम अथवा रोजगार मेलों द्वारा बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? यदि हॉ तो उसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नही ंतो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानीय उद्योगों को किन्ही वैधानिक नियमों/विधि/सामाजिक उत्तरदायित्व के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार हेतु निर्देशित अथवा आदेशित किया जाता है?	श्रम एवं रोजगार
श्री मनोज रावत 12.11.2018	*6. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों जो विभिन्न वन्य जीव व वन कानूनों के कारण विकास से वंचित हैं के लिए कोई योजना बनायी जाती है? यदि हां तो क्या रूद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले केदारनाथ धाम के मार्ग व आस पास के हिस्से, द्वितीय केदार मद महेश्वर और उसका मार्ग, तृतीय केदार तुगनाथ व उसका मार्ग, काली शिला के साथ साथ अभ्यारण्य की सीमा में आने वाले प्रत्येक गांव जो कड़े वन्य जीव कानूनों के कारण विकास से वंचित हैं के विकास के लिये कोई योजना बनायी गई है? यदि हां तो क्यों ?	वन
श्री राम सिंह कैड़ा 12.11.2018	*7. क्या आयुष शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि भीमताल विधान सभा के ओखलकाण्डा ब्लाक में ग्राम सभा पोखरी के आयुर्वेदिक अस्पताल में विगत 02 वर्ष से चिकित्सक नहीं है? क्या मंत्री जी बतायेंगें कि उक्त अस्पताल में चिकित्सक को नियुक्ति कब तक होगी? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष एवं आयुष शिक्षा
श्री चन्दन राम दास 14.11.2018	*8. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जनपद में बन्दरों के बाड़े बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो वर्तमान समय तक कितने जनपदों में बन्दरों के बाड़े बनाये गये है? तथा उक्त कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटन की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

श्री खजान दास
14.11.2018

*9 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त रिक्त पदों पर राज्य गठन के बाद से अब तक भर्ती नहीं हो पाई है, जिस कारण एक ओर सफाई कर्मचारियों की अगली पीढी बेरोजगारी के मुहाने पर खड़ी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में स्वच्छ भारत अभियान को भी गति नहीं मिल पा रही है? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि सफाई कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त रिक्त पदों पर भर्ती न होने से सफाई कर्मचारी लगातार रिक्त पदों पर भर्ती की मांग करते चले आ रहे है? क्या सरकार सफाई कर्मियों की मृत्यु के उपरान्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किये जाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही हैं अथवा नहीं? यदि हॉ तो कब तक? यदि नही तो क्यों नहीं?

शहरी विकास

श्री धन सिंह नेगी
15.11.2018

*10 **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**

क्या सेवायोजन एवं कौशल विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य की कौशल विकास योजना के तहत केन्द्र संचालित हो रहे है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगें कि अभी तक उक्त योजना से प्रदेशभर में कितने केन्द्र खुले है तथा उनमें प्रशिक्षण कर रहे छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है? क्या यह सत्य है कि उक्त सभी केन्द्रों के आवंटन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है तथा प्रदेश स्तर पर आवंटित उक्त केन्द्रों के संचालकों का अपने राज्य में पंजीयन है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगें कि विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत वर्तमान में कितने केन्द्र चल रहे है तथा उन पर होने वाला व्यय भार कितना है? यदि नहीं, तो क्यों?

सेवायोजन एवं कौशल विकास

<u>स्थगित अतारांकित प्रश्न</u>

श्री देशराज कर्णवाल 12.06.2018

01. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि प्रदेश के किन-किन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की मृत्यु हुयी है एवं चोट लगी है? हरिद्वार जनपद में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है तथा उनके आश्रितों को न्यूनतम वेतन एवं ग्रेज्युटी एवं क्षति-पूर्ति का भुगतान क्या विभाग द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम

श्री देशराज कर्णवाल 03.08.2018

02. **प्रथम सोमवार के स्थगित अतारांकित 02 में स्थानान्तरित**

क्या नगर विकास मंत्री इस बात से अवगत हैं कि रूड़की, हरिद्वार शहरों में सरकारी एवं निजी ट्रकों के बढ़ते दबाव के कारण मुख्य मार्गो पर जाम की स्थिति बनी रहती है? इस समस्या के निदान हेतु सरकार क्या येाजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास

श्री देशराज कर्णवाल 10.08.2018

03. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि प्रदेश में आवास विहीन लोगों की संख्या कितनी है? क्या सरकार इन आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

<u>अतारांकित प्रश्न</u>

श्री धन सिंह नेगी 06.11.2018

1. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि नगर क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे की विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी नगरपालिका क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित पार्किंग की स्वीकृति का विवरण क्या है? क्या सरकार उक्त घोषणा को समय पर पूर्ण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास

श्री सुरेश राठौर 06.11.2018

2. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि वर्ष 2017, 2018 में पैदल व डाक कॉवड़ियों की संख्या क्या थी एवं वर्ष 2017 एवं 2018 में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कॉवड़ मेले हेतु कोई बजट जारी किया था? यदि हां, तो सरकार विवरण सदन में प्रस्तुत करेगी? यदि नहीं, क्यों?

शहरी विकास

श्री सुरेश राठौर 09.11.2018

3.. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में पात्र श्रमिकों/लाभार्थियों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनांए प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रही है? यदि हॉ तो क्या मंत्री जी पात्र श्रमिकों/लाभार्थियों के कल्याणकारी योजनाओं का विवरण सदन में प्रस्तुत करेंगे ?यदि नही तो क्यों?

श्रम

श्री मनोज रावत 12.11.2018	4..	क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य के गठन के समय प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य में पड़ने वालें गावों, समुदाय या पौराणिक तीर्थ व धार्मिक स्थानों से जुडे हक हकूकधारियों से कोई स्वीकृति या अनापत्ति ली जाती है ? यदि हां, क्या तो इस तरह की स्वीकृतियां केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण के अन्तर्गत पड़ने वाले गावों, समुदाय या पौराणिक तीर्थ व धार्मिक स्थानों से जुड़े हक हकूकधारियों से ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार इन धार्मिक, पर्यटक स्थलों अथवा केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में पडने वाले गांवों/गांव के हिस्सों को केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर करने का प्रस्ताव उचित माध्यम को भेजेगी ?	**वन**
श्री मनोज रावत 12.11.2018	5.	क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले तोषी, चिलोंड, गडगू और गोंडार गांवों हेतु प्रस्तावित सड़कों को वन विभाग से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियां मिल चुकी है ? यदि नहीं, तो इस सड़कों की स्वीकृतियां किस स्तर पर लंबित हैं ? राज्य सरकार इन गांवों तक सड़क स्वीकृति हेतु क्या प्रयास कर रही है? यदि हां, तो कब तक संबंधित निर्माण एजेंसियों को यह स्वीकृतियां मिल जायेंगी ?	**वन**
श्री धन सिंह नेगी 12.11.2018	6.	क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भागीदारी किफायती योजना (ए0पी0एच0) लागू है? यदि हां, तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक उक्त योजना के तहत राज्य की प्रगति का विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के तहत प्रत्येक जिले में चिन्हीकरण के आदेश दिए गए है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी व चंबा नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उनके सत्यापन के बाद अंतिम सूची में अर्हता पूर्ण करने वाले लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध करायेंगे? क्या उक्त योजना के तहत राज्य सरकार जमीन निशुल्क उपलब्ध करने का प्राविधान कर चुकी हैं? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?	**आवास**

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी ''घ''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-162 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 के संबंध में ''शोधन वक्तव्य''

चतुर्थ विधान सभा वर्ष 2017 के द्वितीय सत्र के प्रथम गुरूवार दिनांक 08 जून, 2017 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-17

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
17. क्या शिक्षा मंत्री अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सिल्ला पट्टी सकलाना के छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु 03 कि0मी0 दूरस्थ रा0प्रा0वि0 धनचुला जाना पड़ता है?	जी नहीं, ग्राम सिल्ला पट्‌टी सकलाना के छात्र-छात्राएं अध्ययन हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय धनचुला जाते है जो ग्राम सिल्ला से लगभग 01 कि0मी0 की दूरी पर है।	उक्त ग्रामों के बीच की दूरी (पारस्परिक रास्तों के आधार पर) लगभग 02 कि0मी0 है एवं संलग्न गूगल मैप के आधार पर 1.61 कि0मी0 है इसी आधार पर पूर्व में अनुमानित दूरी 01 कि0मी0 दर्शायी गयी है।
यदि हां, तो क्या सरकार छात्र हित में ग्राम सिल्ला के छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था ग्राम सिल्ला में ही करायेगी?	प्रश्न नहीं उठ्ता।	सड़क मार्ग से जुड़ने के कारण धनचूला के ज्यादातर परिवार सिल्ला में विस्थापित हो गये हैं, यदि सिल्ला में प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है तो धनचूला के विद्यालय में छात्र संख्या 05 तक सीमित हो जायेगी।
यदि नहीं, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठ्ता।	इस संबंध में विभागीय सर्वे कराया जायेगा, यदि दोनों बस्तियों में मानक पूर्ण होंगे तो विद्यालय प्रस्तावित किया जायेगा।
यदि नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार के मानकानुसार 01 कि0मी0 की परिधि में छात्र-छात्राओं को प्राथमिक विद्यालय की सुविधा होनी चाहिए, जो कि उपलब्ध है।	प्रश्न नहीं उठ्ता।

उपर्युक्त संशोधित उत्तर में उक्त ग्रामों के बीच की दूरी संलग्न गूगल मैप के आधार पर 1.61 किमी है इसी आधार पर पूर्व में अनुमानित दूरी 01 किमी0 दर्शायी गई थी। इसी त्रुटि के संबंध में किसी कदाशय निहित नहीं पाया गया है। अतएव इसके लिये किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है। उक्त त्रुटि के कारण माननीय सदस्य को हुई असुविधा के लिये खेद है।

अरविन्द पाण्डेय
मंत्री

नत्थी-"ङ"

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 की बैठक में दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

दिसम्बर, 2018

विधायी कार्य-

उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2018-19 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2018 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

06 (गुरूवार)

1. **निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरणः-**

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना — "इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती करायी जाय।"

(2) श्री देशराज कर्णवाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मतस्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाय"।

(3) श्री गोपाल सिंह रावत — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सुआखोली-भवान-नगुण मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाय"।

(4) श्री प्रीतम सिंह पंवार — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाय"।

(5) श्री धन सिंह नेगी — "यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई-नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनियों को उपलब्ध न कराये"।

2. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

3. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियॉ की जाय''।

5. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

6. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाय''।

7. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

8. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

9. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा अध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाय।''

10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रू0 01 करोड़ मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया जाय।''

11. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनायी जाय।''

12. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

13. **निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-**

(1) श्रीमती ममता राकेश, ''यह सदन सरकार प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डा0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाय।''

(2) श्री देशराज कर्णवाल, ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाय।''

(3) श्री प्रीतम सिंह पंवार "यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाय"।

14. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।"

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

16. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।"

17 श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिये जाने का प्राविधान किया जाय।"

18. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा ग्रस्त घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि वे केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया करायी जाय।"

19. **निम्नलिखित नियम–54 की सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण–**

श्री देशराज कर्णवाल,	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिर्पोट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।'' (30 **मिनट**)

20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाय।''(30 **मिनट**)

21. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारीः–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाय।''(30 **मिनट**)

22. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर चर्चा जारीः–(1 **घण्टा**)

''सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''